

५५४-१९.२

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

[illegible]

१. जनार्दन तन्मोक्षदायक (परमात्मन्)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322 UCBAW/K

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
बागेश्वर

बागेश्वर
२६-११-१५
तहसीलदार
गारुड

नोट—उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी

पृष्ठ-19.3

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

26.11.2020
बापेश्वर
तहसीलदार

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी

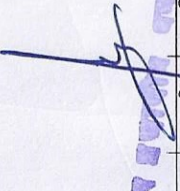
2.15
प्रपत्र-19.4

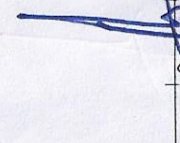
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग								योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	01	-	62	-
2	सिविल सोयम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वन पंचायत योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	कुल योग	-	-	-	-	-	61	-	02	-


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

2.15
प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम
समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

संरेखण नं0 03 में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है ।

जनपद बागेश्वर
वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
जनपद बागेश्वर (पूरुब)

जनपद बागेश्वर
वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है ।

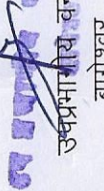
2.15
प्रपत्र-20

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रुपये Rs. 1,10,000/- आंकलित किया जाता है।


वन कार्यक्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र (पुरवा)


उपप्रमाणायक वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रमाणायक वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र

नोट- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे0 यो0 का निर्माण ।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 03 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 03 वृक्षों का पातन किया जाना है ।


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
सहायक अभियन्ता
निगम
नि0 शाखा उ0 पे0 निगम
बागेश्वर


निर्माण शाखा
अधिसूची अभियन्ता
सहायक
निगम
नि0 शाखा उ0 पे0 निगम
बागेश्वर


क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
जनार्दन गन क्षेत्र (पुरडा)


उपप्रभारी वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभारी उपप्रभारी
प्रभारी वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

पृष्ठ-19

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	व्यक्ति	व्यास वर्ग								योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	
1	ब्रह्मचरि						01		02	03
	भक्ति						01		02	03

तमसेवानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

स्व क्षेत्र अधिकारी
रज्जुगथ तम क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर

उपप्रभारीय जनाधिकारी
बागेश्वर

प्रमाणित किया जाता है कि
समस्त कार्य पूर्ण रूप से
समाप्त है

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ के अन्तर्गत गरुड़ ग्राम समूह पम्पिंग पे० यो० का निर्माण ।

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

[illegible]

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

विधि अधिकारी

उपपन्नायाम वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रमाणित किया जाता है कि

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
बागेश्वर
26-11-18

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी